

फर्द अहकाम

न्यायालय

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष

/20

क्र सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
24/3/25		पत्नी मीणा देवी राजस्थान सरकार के अधीन आयातित भूमि का अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। अतः पत्र पेश करने पर अज्ञात पेश हो।
8/4/25		पञ्चावली के अन्तर्गत बकील उमरपट्टा अधुपट्टिल न्यायालय समक्ष अमरपट्टा अधुपट्टिल के आदेशों के अन्तर्गत आयातित भूमि का अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। अतः पत्र पेश करने पर अज्ञात पेश हो।

उपखण्ड-अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reader to report

16/6/23



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

राजस्थान वाद संख्या (146/2023) 96/2
मनोहरी देवी पत्नी प्रभूनारायण पुत्री मोती पौत्री रामपाल जाति मीणा निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील बस्सी जिला जयपुर।

वादीया

बनाम

- मोती पुत्र रामपाल
- कृष्ण लाल पुत्र मोती पौत्र रामपाल
- ओमप्रकाश पुत्र मोती पौत्र रामपाल
- मोहन लाल पुत्र मोती पौत्र रामपाल
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम चक गेटोर तहसील सांगानेर जयपुर।
- फूला पत्नी रामनाथ पुत्री मोती पौत्री रामपाल जाति मीणा निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील बस्सी जिला जयपुर।
- श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर जरिये मंत्री दुकान नम्बर बी-1, लोकल शॉपिंग सेन्टर हरि मार्ग मालवीय नगर जयपुर हाल बडोदिया बस्ती सेशन कोर्ट पीछे जयपुर।
- जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग रामबाग सर्किल जयपुर जरिये सचिव।
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

श्रीमान्

निम्न प्रकार से वाद पत्र प्रस्तुत है:-

- यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 431 रकबा 0.0100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 433 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 434 रकबा 0.20

मनी